निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
33/2025	12.06.2025	6/11/25

फूलवती पुत्री काना पत्नि प्रहलाद, माली निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर हालवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थिया

बनाम

1. महाराज सिंह दत्तक पुत्र काना, माली निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर
2. नमोनारायण पुत्र महाराजसिंह, माली निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर
3. पिन्टू पुत्र महाराजसिंह, माली निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर
4. सोनू कुमार सैनी पुत्र महाराजसिंह, माली निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर
5. ललता पत्नी जगदीश पुत्री महाराजसिंह, माली नि0 रायपुर तह0 वजीरपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
श्री संजय कुमार शर्मा,एडवोकेट,अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 152, 153, 154, 157, 165, 166, 175, 176, 177, 178, 179, 159/1775/1587 ग्राम रायपुर की खातदेरी काना पुत्र पांच्या माली के नाम दर्ज रही है तथा वह अपने जीवनकाल में उक्त भूमि से लगातार लाभान्वित होता रहा है। ग्राम रायपुर में से नवीन ग्राम सृजित हो जाने के कारण सम्बत् 2056—59 में हाल सेटिलमेन्ट में बनाये गये मद नम्बर 1 मे वर्णित खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 155 रकबा 0.30 है0, ख0न0 156 रकबा 0.25 है0, ख0न0 157 रकबा 0.44 है0, ख0न0 160 रकबा 0.31 है0, ख0न0 170 रकबा 0.22 है0, ख0न0 171 रकबा 0.02 है0, ख0न0 180 रकबा 0.28 है0, ख0न0 181 रकबा 0.02 है0, ख0न0 182 रकबा 0.42 है0, ख0न0 183 रकबा 0.30 है0, ख0न0 184 रकबा 0.40 है0, ख0न0 162 रकबा 0.07 है0 बनाये गये है। उक्त सभी खसरा नम्बरान काना पुत्र पॉच्या की खातेदारी के नम्बर रहे हैं जिन्हे अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] रूप से विरासत के नामान्तकरण स्वयं अकेले के नाम दर्ज करा कर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि में प्रार्थिया 1/2 [illegible] व अप्रार्थी संख्या 1 1/2 हिस्से के अधिकारी थे। खातेदार काना पुत्र पांच्या के उसकी स्वयं की संतान के रूप में पुत्री फूलवती रही। काना के कोई पुत्र संतान नही होने के कारण काना ने महाराजसिंह को गोदपुत्र के रूप मे गोद ले लिया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:36:07 IST
Reason: Self Attested

गोदनामा रजिस्टर्ड करवा दिया। काना की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने गुपचुप तरीके से मृतक काना की विरासत का नामान्तकरण अपने अकेले के नाम राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ कर खुलवा लिया जबकि मृतक काना के अन्य वारिस प्रार्थिया थी जो काना की सम्पत्ति में हिस्सा 1/2 की हकदार व अधिकारी थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खुलवाये गए विरासत के गलत नामान्तरकरण की प्रार्थिया को जानकारी होने ने प्रार्थिया ने इसकी अपील उप जिलाकलक्टर के यहां की जिसमें धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का राजस्व मण्डल अजमेर से निर्णय होने के उपरान्त पत्रावली एस0डी0ओ0 साहब वजीरपुर के यहां निस्तारण के लिए भेजी गई। पत्रावली अंतिम बहस हेतु चल रही थी परन्तु चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है, उसे यह ज्ञात था कि उसके द्वारा विरासत का गलत नामान्तरकरण खुलवाया गया है जो निरस्त होगा इसलिए उसने प्रार्थिया के साथ पुनः छल–कपट कर धोखेबाजी की तथा प्रार्थिया को झूंठा झांसा देकर कहा कि मैं हिस्सा 1/2 की खातेदारी तहसीलदार जी के यहां बयान देकर तुम्हारे नाम करवा दूंगा। प्रार्थिया ने भूमि की खातेदारी पहले प्रार्थिया के नाम करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से कहा तो उसने कहा कि प्रार्थिया ने जो मुकदमे कर रखे हैं उनमें स्टे होने के कारण खातेदारी नाम नहीं होगी इसलिए प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 1 बहकावे में आ गई एवं प्रार्थिया उन मुकदमो में किए गए अपने वकील को छोडकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बताए गए वकील के पास गई जिसने प्रार्थिया का अंगूठा निशानी व फोटो लेकर कोर्ट में लिखकर दे दिया तथा प्रार्थिया से कहा कि अब तुम्हारे मुकदमे समाप्त हो गए हैं, इसके बाद मैं पटवारी हलका व तहसीलदार जी से बात कर भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी तुम्हारे नाम करवा दूंगा। जब प्रार्थिया ने पुनः अप्रार्थी संख्या 1 से भूमि के 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री प्रार्थिया के नाम कराने को कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री प्रार्थिया के नाम कराने के लिए दो लाख रूपऐ लगेंगे इसलिए समय लगेगा। कुछ समय बाद प्रार्थिया की जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थिया के साथ धोखा करके विवादित भूमि में से ख0नं0 155, 156, 180, 181, 182, 184 ग्राम रायपुर की रजिस्ट्री दिनांक 28.5.2025 को अपने पुत्रों व पुत्री के हक में हिस्सा 1/4, 1/4 करवा दी [illegible] खातेदारी भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गई। उक्त जानकारी होने मे प्रार्थिया ने जमाबंदी की नकल निकलवाई तो प्रार्थिया को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थिया को 1/2 हिस्से की भूमि से महरूम [illegible] के लिए उक्त विक्रय पत्र दिनांक 28.5.2025 को रजिस्टर्ड करवाए हैं जो प्रार्थिया के हक हकूक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

पर प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन हैं। जब प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 से उसके द्वारा की गई इस धोखाधडी के बारे में कहा तो उसने कहा मैंने अपना काम कर दिया है अब तुम्हें जो करना हो करो। अभी तो मैंने 1/2 हिस्से की भूमि अपने पुत्रों व पुत्री के नाम करवाई है अब शेष 1/2 हिस्से की भूमि को मैं बेचूंगा तो तुम्हें भूमि कहां से मिलेगी, केवल कब्जा होने से कुछ नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वादपत्र इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 0.30 है0, ख0न0 156 रकबा 0.25 है0, ख0न0 157 रकबा 0.44 है0, ख0न0 160 रकबा 0.31 है0, ख0न0 170 रकबा 0.22 है0, ख0न0 171 रकबा 0.02 है0, ख0न0 180 रकबा 0.28 है0, ख0न0 181 रकबा 0.02 है0, ख0न0 182 रकबा 0.42 है0, ख0न0 183 रकबा 0.30 है0, ख0न0 184 रकबा 0.40 है0, ख0न0 162 रकबा 0.07 है0 ग्राम रायपुर में प्रार्थिया को उसके 1/2 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें, गलत इन्द्राज की आड में भूमि को रहन वय नहीं करें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन है एवं भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 महाराजसिंह को यह भूमि काना पुत्र पांच्या ने अपने जीवनकाल में ही अप्रार्थी संख्या 1 को दत्तक पुत्र स्वीकार कर सरकारी जमीन व सारी सम्पत्ति सौंप दी थी तब से ही अप्रार्थी संख्या 1 इस जमीन से लाभान्वित होता चला आ रहा है। काना पुत्र पांच्या की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र होने के नाते अप्रार्थी संख्या 1 के नाम यह भूमि विरासत में दर्ज हुई। विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय प्रार्थिया से पटवारी ने व तहसीलदार साहब ने मौखिक रूप से पूछा कि प्रार्थिया को 1/2 हिस्से की भूमि चाहिए या नहीं इस पर प्रार्थिया ने भूमि में 1/2 हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि मुझे [illegible] संख्या 1 से नकद पैसा चाहिए, जमीन व प्रोपर्टी नहीं चाहिए प्रार्थिया मनगढ़न्त कहानी बनाई है। विरासत का नामान्तरकरण सन 1993 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खोला गया । गोदपत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी कोई सन्तान का जिक्र नहीं किया एवं प्रार्थिया का भी जिक्र नहीं किया। प्रार्थिया अगर काना की संतान होती तो उसका गोदपत्र में हवाला होना आवश्यक था। अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:36:07 IST
Reason: Self Attested

1 से गांव के ही कुछ लोग रंजिश रखते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 की 1/2 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिनके विरूद्ध अप्रार्थी सं0 1 ने मुकदमा नम्बर 14/2010 महाराजसिंह बनाम फूलचन्द वगैरा बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो दिनांक 14.3.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी के यहां से डिक्री हुआ। इन लोगों ने प्रार्थिया फूलवती को मोहरा बनाकर सन् 2014 में अप्रार्थी के पक्ष में हुए विरासत के नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की । यह अपील 21 साल बाद पेश की गई थी जिसको प्रार्थिया ने अपने पति के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति से खारिज करवा ली। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त जमीन को अपने पुत्र व पुत्रियों को विक्रय किया है जो अप्रार्थी संख्या 1 से अलग अलग रहते हैं। प्रार्थिया ने पैसों की मांग की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के बजाय अपने पुत्र–पुत्रियों को बेचान कर प्रार्थिया को पैसा विनोद माली पुत्र परमा माली निवासी पटार हरनगर जिला करौली, मुकेश पुत्र भरोसी माली निवासी सीलोटी तहसील करौली के समक्ष उसके पति की मौजूदगी में 6 बीघा जमीन का पैसा प्रार्थिया को दे दिया और प्रार्थिया की सहमति से अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पुत्र पुत्रियों के नाम जमीन का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवा दिया । अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पुत्र–पुत्रियों के नाम जो जमीन बेचान की है उस जमीन को फूलचन्द, छुट्टन, विजयसिंह हरीसिंह, हजारी, रामदयाल वगैरा लेना चाहते थे इसलिए उन्होने प्रार्थिया को बहकाकर यह झूंठा दावा व टी0आई0 पेश करवाया है। वादग्रस्त भूमि पर कभी प्रार्थिया का कब्जा नहीं रहा है बल्कि भूमि को अप्रार्थीगण ही काश्त करते आ रहे हैं। जबाब के विशेष विवरण में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने व शून्य व प्रभावहीन घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है, रेवेन्यू कोर्ट को नहीं है। प्रार्थिया ने दावे में जो रिलीफ मांगी है वह क्षेत्राधिकार के बाहर मांगी है इस आधार पर भी प्रार्थिया का दावा खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र टी0आई0 खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थिया ने फोटोकोपी जमाबंदी सं0 2076 से 2079 खाता संख्या 360, फोटोकोपी नकल विक्रय पत्र दिनांक 28.5.2025, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2048 से 2051, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2056 से 2059, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 167, 19 प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, वजीरपुर मे चल रही अपील फूलवती बनाम महाराज सिंह वगैरा मे अपीलार्थी

फूलवती द्वारा दिनांक 9.4.25 को प्रस्तुत मिसल तलबी प्रार्थना पत्र, अपील खारिज करने सम्बधित प्रार्थना पत्र, वकालत नामा की प्रमाणित प्रति, न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर के यहॉ चल रही अपील फूलवती बनाम महाराज सिंह वगैरा मे दिनांक 9.4.2025 को प्रस्तुत अपील खारिज करने के प्रार्थना पत्र प्रमाणित प्रति, आदेशिका दिनांक 9.4.25 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 24.3.2015 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी की फोटोकॉपी प्रस्तुत की है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्धान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रार्थिया के पिता काना पुत्र पांच्या के नाम रही है। प्रार्थिया के पिता ने पुत्र संतान नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 महाराज सिंह को गोद लिया। प्रार्थिया के पिता काना की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण दत्तक पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 महाराज सिंह के नाम खोल दिया गया जबकि प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा जन्म से ही निहित था। इस नामान्तकरण के विरूद्ध प्रार्थिया ने अपील प्रस्तुत की। जिसमे प्रार्थिया को बहकाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय उप जिला कलक्टर वजीरपुर एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर के यहॉ पक्षकारों के मध्य आपस मे राजीनामा होने सम्बधित प्रार्थना पत्र पेश करवा कर इन अपीलों को खारिज करवा लिया जबकि इसमे यह कही भी अंकित नही है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा क्या हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 ने इसके तत्काल बाद ही 1/2 हिस्से का विक्रय अपने पुत्र व पुत्रियों के नाम कर दिया जो कानून की नजर मे कोई मायने नही रखता है क्योकि वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थिया का शुरू से ही हिस्सा रहा है। इसके बाद प्रार्थिया ने यह दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि प्रार्थिया ने अपने दावे मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा करवाये गये विक्रय पत्रों को खारिज करने की मांग की है। जिसको [illegible] राजस्व न्यायालय सक्षम नही है। विक्रय पत्रों को निरस्त सिविल न्यायालय ही कर सकता है। इसलिए प्रार्थिया का दावा व टी.आई. प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थिया ने न्यायालय मे स्वयं उपस्थित होकर अपील वापिस ली है ऐसी स्थिति मे अब प्रार्थिया को यह दावा व टीआई प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही रहता है। प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

अपने ससुराल मे रहती है। इसलिए प्रार्थिया का टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जो पत्रावली मे संलग्न है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2076 से 2079 ग्राम रायपुर खाता संख्या 360 के अनुसार वादग्रस्त भूमि 155, 156, 180, 181, 182, 184 अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, व 5 की खातेदारी मे दर्ज है एवं फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2076 से 2079 ग्राम रायपुर खाता संख्या 173 के अनुसार भूमि ख0न0 157, 160, 162, 170, 171, 183 महाराजसिंह की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2048—51 के अनुसार वादग्रस्त भूमि कान्हा पुत्र पांच्या की खातेदारी मे दर्ज रही है एवं विरासत मे यह भूमि महाराजसिंह दत्तक पुत्र काना के नाम आयी है। इस तथ्य को प्रार्थिया ने स्वयं अपने टी.आई. प्रार्थना पत्र मे स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज विरासत के नामान्तकरण के विरूद्ध प्रार्थिया फूलवती ने अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर, वजीरपुर मे प्रस्तुत की थी जो प्रार्थिया ने दिनांक 9.4.2025 को न्यायालय मे उपस्थित होकर खारिज करवा ली। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 महाराज सिंह ने अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के नाम भूमि का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है एवं वादग्रस्त भूमि विधिवत रूप से अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5 के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई है। उपरोक्त अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया ने विरासत के नामान्तकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की थी एवं इस अपील को उसने स्वयं ने खारिज करवा लिया था। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का कोई अधिकार अब नही बनता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थिया का प्रकरण अभिलेख के अनुसार प्रमाणित नही होता है और नाही सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के हक मे जाता है। ऐसी स्थिति प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2025 को जारी अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वापिस (**With draw**) लिया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 6/11/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुधारानी मीणा)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर